

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय**

मांग संख्या 50

एड्स नियंत्रण विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

		वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
		1472.97	...	1472.97	1702.00	...	1702.00	1300.00	...	1300.00	1347.00	...	1347.00	
		<b>0.18</b>	...	<b>0.18</b>	<b>83.00</b>	...	<b>83.00</b>	...	...	...	<b>50.00</b>	...	<b>50.00</b>	
		<b>1473.15</b>	...	<b>1473.15</b>	<b>1785.00</b>	...	<b>1785.00</b>	<b>1300.00</b>	...	<b>1300.00</b>	<b>1397.00</b>	...	<b>1397.00</b>	
1.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2251	12.20	...	12.20	16.49	...	16.49	16.49	...	16.49	18.75	...	18.75
2.	स्वायत्तशासी निकायों को अनुदान, निर्देश और प्रशासन													
	2.01 स्वायत्तशासी निकायों आदि को अनुदान	2210	693.77	...	693.77	1.00	...	1.00	0.25	...	0.25	1.00	...	1.00
	2.02 निर्देश और प्रशासन	2210	...	...	...	12.00	...	12.00	3.53	...	3.53	4.24	...	4.24
	जोड़- स्वायत्तशासी निकायों को अनुदान, निर्देश और प्रशासन		<b>693.77</b>	...	<b>693.77</b>	<b>13.00</b>	...	<b>13.00</b>	<b>3.78</b>	...	<b>3.78</b>	<b>5.24</b>	...	<b>5.24</b>
3.	सूचना, शिक्षा और संप्रेषण	2210	48.87	...	48.87	51.00	...	51.00	31.00	...	31.00	42.00	...	42.00
4.	खरीद													
	4.01 उपकरण	2210	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	4.02 औषधि, किट्स और उपभोक्ता वस्तुएं	2210	149.08	...	149.08	452.00	...	452.00	157.50	...	157.50	500.00	...	500.00
	4.03 सेवाएं	2210	428.95	...	428.95	30.00	...	30.00	31.55	...	31.55	44.30	...	44.30
	जोड़- खरीद		<b>578.03</b>	...	<b>578.03</b>	<b>482.00</b>	...	<b>482.00</b>	<b>189.05</b>	...	<b>189.05</b>	<b>544.30</b>	...	<b>544.30</b>
5.	राष्ट्रीय/राज्य रक्ताधान परिषद	2210	...	...	...	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
6.	कंडोमों की आपूर्ति	2210	140.10	...	140.10	152.00	...	152.00	120.75	...	120.75	106.00	...	106.00
7.	रक्त एवं रक्त उत्पादों हेतु कार्यक्रम	2210	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8.	मेट्रो रक्त बैंकों की स्थापना हेतु पूंजीगत परिव्यय	4210	0.18	...	0.18	83.00	...	83.00	...	...	...	50.00	...	50.00
9.	अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए अंशदान	2210	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
10.	पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए योजनाएं													
	10.01 राज्य एड्स नियंत्रण समाजों की सहायता अनुदान	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	10.02 सूचना, शिक्षा और संचार	2552	...	...	...	12.50	...	12.50	...	...	...	10.00	...	10.00
	10.03 सरकारी खरीद	2552	...	...	...	23.00	...	23.00	10.04	...	10.04	64.70	...	64.70
	10.04 कंडोमों की आपूर्ति	2552	...	...	...	23.00	...	23.00	1.04	...	1.04	15.00	...	15.00
	जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए योजनाएं		...	...	...	<b>58.50</b>	...	<b>58.50</b>	<b>11.08</b>	...	<b>11.08</b>	<b>89.70</b>	...	<b>89.70</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजना</b>														

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2013-2014			बजट 2014-2015			संशोधित 2014-2015			बजट 2015-2016			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
<b>11. राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम</b>													
11.01 राज्य योजना	3601	...	...	772.00	...	772.00	771.97	...	771.97	450.00	...	450.00	
11.02 संघ राज्य क्षेत्र योजना	3602	...	...	36.00	...	36.00	35.95	...	35.95	40.00	...	40.00	
11.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम	2552	...	...	120.00	...	120.00	118.92	...	118.92	50.00	...	50.00	
जोड़- राष्ट्रीय एड्स एवं एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम		...	...	928.00	...	928.00	926.84	...	926.84	540.00	...	540.00	
<b>कुल जोड़</b>		<b>1473.15</b>	<b>1473.15</b>	<b>1785.00</b>	<b>1785.00</b>	<b>1785.00</b>	<b>1300.00</b>	<b>1300.00</b>	<b>1300.00</b>	<b>1397.00</b>	<b>1397.00</b>	<b>1397.00</b>	
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	
<b>ग. योजना परिव्यय</b>													
<b>केन्द्रीय योजना:</b>													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	12.20	...	12.20	16.49	...	16.49	16.49	...	16.49	18.75	...	18.75
2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	22210	1460.95	...	1460.95	782.01	...	782.01	345.59	...	345.59	748.55	...	748.55
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	58.50	...	58.50	11.08	...	11.08	89.70	...	89.70
<b>जोड़ - केन्द्रीय योजना</b>		<b>1473.15</b>	<b>1473.15</b>	<b>1473.15</b>	<b>857.00</b>	<b>857.00</b>	<b>373.16</b>	<b>373.16</b>	<b>373.16</b>	<b>857.00</b>	<b>857.00</b>	<b>857.00</b>	
<b>राज्य योजना:</b>													
1. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	43601	...	...	...	892.00	...	892.00	890.89	...	890.89	500.00	...	500.00
<b>जोड़ - राज्य योजना</b>		<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>892.00</b>	<b>892.00</b>	<b>890.89</b>	<b>890.89</b>	<b>890.89</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
<b>संघ राज्य क्षेत्र योजना :</b>													
<b>संघ राज्य क्षेत्र योजना (विधानमंडल के साथ)</b>													
1. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	43602	...	...	...	36.00	...	36.00	35.95	...	35.95	40.00	...	40.00
<b>जोड़ - संघ राज्य क्षेत्र योजना</b>		<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>	<b>35.95</b>	<b>35.95</b>	<b>35.95</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	
<b>जोड़</b>		<b>1473.15</b>	<b>1473.15</b>	<b>1473.15</b>	<b>1785.00</b>	<b>1785.00</b>	<b>1300.00</b>	<b>1300.00</b>	<b>1300.00</b>	<b>1397.00</b>	<b>1397.00</b>	<b>1397.00</b>	

1. **सचिवालय सामाजिक सेवाएं:** यह प्रावधान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

2. **स्वायत्त निकाय आदि एवं निदेशन और प्रशासन:** स्वायत्त निकाय आदि को अनुदान और विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र के निदेशन और प्रशासन व्यय हेतु प्रावधान है।

3. **सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण:** सुरक्षित तौर-तरीके अपनाने, सेवाओं के लिए मांग सृजित करने, कलंक और भेदभाव कम करने और अनुकूल एवं सशक्त माहौल बनाने के लिए जागरूकता पैदा करना और व्यवहार में परिवर्तन लाना।

4. **खरीद:** यह प्रावधान औषधों, किटों, उपभोग्यों और उपकरण की खरीद के लिए है।

5. **राष्ट्रीय/राज्य रक्ताधान परिषद:** यह प्रावधान स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय/राज्य रक्ताधान परिषद को अनुदान देने के लिए है।

6. **कंडोंमें की आपूर्ति:** यह प्रावधान निःशुल्क आपूर्ति एवं कंडोम सामाजिक विपणन कार्यक्रम के लिए कंडोंमें की खरीद तथा इसके लिए प्रचार अभियानों हेतु है।

8. **मेट्रो रक्त बैंकों की स्थापना हेतु पूंजीगत परिव्यय:** यह प्रावधान 4 मेट्रो रक्त बैंकों की चैन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में स्थापना और प्लाज्मा फ्रेक्शननेशन केन्द्र हेतु है।

9. **अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए अंशदान:** यह प्रावधान एड्स, क्षयरोग और मलेरिया से निपटने के लिए वैश्विक निधि में भारत सरकार के अंशदान के लिए है।

10. **पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लाभ के लिए योजनाएं:** योजना आयोग के मार्गनिर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए योजनाओं/परियोजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान निर्धारित किया गया है।

11. **राष्ट्रीय एड्स एवं स टी डी नियंत्रण कार्यक्रम:** राष्ट्रीय एड्स एवं स टी डी नियंत्रण कार्यक्रम की कार्यनीतियों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/नगर निगम एड्स नियंत्रण सोसायटियों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं। इनमें (I) उच्च जोखिम वाले वर्गों और ब्रिज आबादी में लक्षित हस्तक्षेप; (II) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा व संप्रेषण कार्यक्रमलाप (III) यौन संचरित संक्रमण का उपचार, (IV) रक्त सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन (V) माता-पिता से बच्चे में संचरण की रोकथाम सहित एकीकृत परामर्श एवं जांच सुविधाओं का प्रावधान, (VI) लिंग कार्यकर्ता योजना के जरिए ग्रामीण आउटरिच सहित (क) निवारण, (ख) एच आई वी/एड्स से ग्रसित लोगों के लिए परिचर्या, सहायता और उपचार प्रदान करने संबंधी कार्यक्रमलाप, (ग) क्षमता निर्माण, और (घ) कार्यनीतिक सूचना प्रबंधन शामिल हैं। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को कर संसाधनों के अधिक अंतरण को देखते हुए केन्द्र: राज्य नियमन पैटर्न का आशोधन किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में राजस्व व्यय का बहन राज्यों द्वारा किया जाता है। परिवर्तित निधियन पैटर्न के बादज कार्यक्रम पर समग्र व्यय कम नहीं होगा।